

FORM NO. III

फर्दअहकाम


(नियम- 26)

अज अदालत .....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), .....सिवाना .....

वादी/वादीगण	बनाम	प्रतिवादी/प्रतिवादीगण
1. नकाराम पुत्र सीयाराम जाति भील निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (2)		1. यजाराम पुत्र भीमाराम जाति भील निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (13) 14 तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा.....धारा 188 RT Act.

मु.नं. 124/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स/अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.11.2023	<p>वादी नकाराम वगैरा की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली ने यह वाद पत्र प्रतिवादी यजाराम वगैरा के विरुद्ध धारा 188 RT Act. को प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.12.2023 को पेश हो।</p> <p>(दिनेश विश्नाई) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना</p>	
12.12.2023	<p>वादी नकाराम व उनके वकील के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वादी नकाराम मय वकील उपस्थित। वादी व उनके वकील ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में ग्राम के मौजिम एपॉन्टियों द्वारा लोक अदालत की भावना से की गई समझौदा से दोनों पक्षों के मध्य आपस में सुलह हो चुकी है। अतः वे वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। हमने वकील वादी को सुना एवं पत्रावली का अपलोड किया। चूँकि प्रकरण तलबी के स्तर पर विचाराधीन है और वादी स्वयं वाद की कार्यवाही जारी नहीं रखना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण का वाद जारी रखे बिना खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमा होकर दाखिल पत्र हो।</p>	<p>नकाराम</p> 

सहायक कलक्टर  
(S.D.O) सिवाना